प्रकरण 63/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांक – 19.07.2023

प्रकरण 63/2023

पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीना आर.ए.एस.

बनाम

पूर्णी पुत्र सुवा जाति मीना निवासी मोरडा तहसील टोडाभीम। (आवेदक)

बनाम

1. कालीसिंह पुत्र नंदन
2. सोमन पुत्र कालीसिंह
3. महेश पुत्र कालीसिंह
4. सुनीता पत्नि कालीसिंह
5. मोनिका पुत्री कालीसिंह
6. शिवानी पुत्री कालीसिंह

समस्त जाति मीना निवासी मोरडा तहसील टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादीगण

निर्णय दिनांक 21.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोरडा की आराजीयात खसरा0 112/0.14, 116/0.05 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 सहित कुल खसरा किता 30 कुल रकबा 5.75 है0 मे सायल बहिस्सा 1/5 तथा बाकी आराजी मे अन्य सहखातेदार राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सायल अपने 1/5 हिस्से मे बहन्नी बटवार मे सायल को खसरा0 112/0.14, 116/0.05 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 सहित अन्य आराजी आयी है जिस पर सायल काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात पर सायल के अलावा गैरसायलान या अन्य व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सायल की आराजी के लगता गैरसायलान प्रतिवादी नं0 1 की आराजी खसरा0 110/0.14 है0 जिसके चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल हो रही है उसके बावजूद भी गैरसायलान सायल को हैरान परेशान करते रहते है। तथा सायल की आराजी खसरा0 112, 116 पर कब्जा करने पर उतारू है।

दौरान दिनांक 10.07.2023 को सायल अपनी आराजी खसरा0 112, 116 की देखभाल कर रहा था तो वहां पर गैरसायलान एकराय होकर हाथो मे लाठी डण्डा लेकर आ गये तथा गाली गलोच करने लगे सायल द्वारा मना किया तो कहने लगे बाउन्ड्री की दूसरी तरफ हमारी जमीन तथा पेड है इस सायल द्वारा समझाया परन्तु वह नहीं माने। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्रार्थनापत्रों काम कब्जे साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को अपूर्णीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ता दावा फैसला दावा इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि वे खसरा0 112/0.14, 116/0.05 है0 कुल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

उनवानः– धुन्धी बनाम रूपसिंह

मु0न0:–63/2023

किता 2 कुल रकवा 0.19 है0 मे सायल के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे, सायल को बेदखल कर कब्जा नही करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सायलान वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि आराजीयात ख0न0 112/0.14, 116/0.05 कुल किता 2 कुल रकवा 0.19 है0 सहित कुल खसरा किता 30 कुल रकवा 5.75 है0 मे सायल बहिस्सा 1/5 तथा बाकी आराजी मे अन्य सहखातेदार राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सायल अपने 1/5 हिस्से मे बाहमी बटवारे मे सायल को ख0न0 112/0.14, 116/0.05 कुल किता 2 कुल रकवा 0.19 है0 सहित अन्य आराजी आयी है जिस पर सायल काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात पर सायल के अलावा गैरसायलान या अन्य व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। सायल की आराजी के लगवा गैरसायलान प्रतिवादी न0 1 की आराजी ख0न0 110/0.14 है0 जिसके चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल हो रही है उसके बावजूद भी गैरसायलान सायल को हैरान परेशान करते रहते है। तथा सायल की आराजी ख0न0 112, 116 पर कब्जा करने पर उतारू है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वर्णित आराजीयात मे सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। वह सायलान के हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे नाही किसी अन्य से करावे। सायलान की भूमि पर कब्जा नही करे एवं शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी वकील की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम गोरडा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न0 107 मे कुल किता 30 कुल रकवा 05.75 है0 मे सायल प्रत्येक 1/5 हिस्से का तथा शेष हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है। गैरसायलान बावजदू सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान अनुपस्थित न्यायालय रहने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः– प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। **उक्त तीनो बिन्दु सायलान के पक्ष मे साबित होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।**

अतः गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 112/0.14, 116/0.05 कुल किता 2 कुल रकवा 0.19 है0 मे सायलान के हिस्से की आराजी मे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से [illegible]

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:11 IST
Reason: Self Attested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]देन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी